संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

संख्या:8(9)/2011-IPHW आsईपीएचडब्ल्यू नई दिल्ली, जनवरी 6, 2015

विषय इलेक्ट्रानिकी विकास - :निधि की स्थापना के लिए नीति (ईडीएफ नीति)

1. **पृष्ठभूमि**

1.1 इलेक्ट्रॉनिकी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और इसका अत्यधिक आर्थिक और सामरिक महत्व भी है । प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परिवर्तन के उच्च वेग के कारण अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) तथा नवाचार इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है । बौद्धिक सम्पदा अति महत्वपूर्ण विभेदक और किसी इलेक्ट्रॉनिकी कंपनी के लिए एक निर्धारक है । सरकार के "डिजिटल भारत" कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) की परिकल्पना की गई है जिसका उद्देश्य इस दिश में एक कदम के रूप में निवल शून्य आयात एवं इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (ईडीएफ) की स्थापना करना है । इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति में भी एक ईडीएफ की स्थापना की परिकल्पना की गई है । इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति में प्रस्ताव किया गया है कि "उप निधियों" में प्रतिभागिता के लिए "बृहत निधियां" (निधियों की निधि) के तौर पर ईडीएफ की स्थापना की जाएगी । इस नीति को इस के पश्चात "ईडीएफ नीति" कहा जाएगा जिसमें उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है ।

2. **उद्देश्य**

2.1 ईडीएफ नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण तथा नैनो-इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी में प्रारंभिक चरण की ऐंजेल निधि और उद्यम निधियों सहित उप निधियों को सहायता देना है । सहायता प्राप्त उप निधियां ईएसडीएम, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और

आईटी के विशिष्ट क्षेत्रों में देश में नवोदभ, आरएंडडी, उत्पाद विकास को बढ़ावा देंगी । वे भारत में बड़ी मात्रा में आयातित उत्पादों के लिए विदेशी कंपनियों और प्रौद्योगिकी अर्जन के लिए भी सहायता देंगी । उप निधियों का मुख्य जोर घरेलू डिजाइन क्षमताएं विकसित करना होगा । सहायता प्राप्त उप निधियां देश में विशिष्ट क्षेत्रों में आईपी का एक संसाधन पूल सृजित करेंगे ।

3. लक्षित लाभ भोगी

3.1 भारत में पंजीकृत कोई उप निधि जो उद्यम निधियों पर सेवी विनियमों सहित संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करती हो और जिसकी स्थापना ऊपर वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई हो, ईडीएफ से सहायता के लिए पात्र होगी ।

4. ईडीएफ नीति की मुख्य विशेषताएं

4.1 इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (ईडीएफ) का सृजन सिडबी और इसी प्रकार की संगठन जैसे वित्तीय संस्थान में की जाएगी ।

4.2 ईडीएफ को उप निधियों में निवेश करना चाहिए जो ईएसडीएम, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्रों में निवेश करेगा । इस निधि की ऐसी उप निधियों के लिए निजी उद्यम निधि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक प्रेरक के रूप कार्य करना चाहिए ।

4.3 किसी उप निधि में ईडीएफ की भागीदारी गैर-विशिष्ट आधार पर होगी ।

4.4 किसी उप निधि के आकार का निर्धारण बाजार आवश्यकताओं द्वारा और निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसके निधि मैनेजर की क्षमता के आधार पर होगा । ईडीएफ की उप निधि में अल्प भागीदारी होगी । निधियां जुटाने, व्यक्तिगत निवेश का निवेश करना और उसकी निगरानी का दायित्व उप निधि के निधि मैनेजर का दायित्व होगा ।

4.5 चूंकि सरकार उप निधियों के प्रतिभागियों में से एक प्रतिभागी और अल्प आकार वाली प्रतिभागी है, अत: बाजार की गतिशीलता को उप निधियों की मांग का निर्धारण करना चाहिए ।

4.6 ईएसडीएम क्षेत्र में उद्यमपूंजी निधियों में ईडीएफ की प्रतिभागिता ईएसडीएम क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला और इसकी पारि-प्रणाली के लिए उपलब्ध होगी । इसमें फैब्लेस सेमीकंड्कटर उदीयमान कंपनियों, अनुसंधान और विकास, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अपेक्षित सामग्री प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण तथा उत्पाद डिजाइन शामिल है ।

4.7 कुछेक मामलों में ईडीएफ के तहत किसी उप निधि से अपने लाभ को पूंजीकृत करने का विकल्प चुना जा सकता है, बशर्ते कि उप निधि में से भुगतान के लिए ईडीएफ को वरीयता दी जाए ।

4.8 यदि उत्पाद सामरिक महत्व के हैं जिनके लिए या तो प्रतिभागिता के लिए पर्याप्त वाणिज्यिक हित नहीं है या जिनके लिए सामारिक कारणों से पूर्णरूप से सरकारी स्वामित्व के लिए यह राष्ट्रीय हित में हैं, ईडीएफ 100% निधियन के साथ उप निधियां भी स्थापित कर सकती है ।

4.9 सेवी, एआईएफ विनियम, 2012 के अनुसार श्रेणी । और ।। एआईएफ के लिए प्रबंधक एवं प्रायोजक को आरंभिक निधि की कम से कम (कोर्पस)2.5 % राशि अथवा 5 करोड़ रुपए की राशि, जो भी कम हो, के साथ लगातार भागीदारी बनाए रखनी होगी और ऐसी भागीदारी प्रबंधन शुल्क में छूट के जरिए नहीं की जाएगी ।

5. शासन तंत्र

5.1 ईडीएफ द्वारा सहायता के लिए पात्र एक उप निधि का सृजन भारतीय कानूनों और विनियमों के अनुसार भारत में ही सृजित किया जाना चाहिए । उप निधि का निधि मैनेजर यह सुनिश्चत करेगा कि निधि की स्थापना और प्रचालन के संबंध में देश के कानूनों का पूरा

अनुपालन हो। विदेशी निधियां सुनिश्चित करें कि भारत में किसी उद्यम पूंजी में उनकी भागीदारी से पहले भारतीय रिजर्व बैंक/एफआईपीबी का अनुमोदन प्राप्त किया जाए ।

5.2 ईडीएफ के अंतर्गत समर्थित उप निधियों का व्यावसायिक रूप से प्रबंधन किया जाए ।

5.3 उप निधियों को निधियां प्रदान करने की नीति और उद्यम में वे निवेश कैसे करें, इसका निर्णय ईडीएफ द्वारा लिया जाएगा ।

5.4 **ईडीएफ प्रबंधन बोर्ड** : ईडीएफ की स्थापना करने वाला वित्तीय संस्थान एक उच्च स्तरीय ईडीएफ प्रबंधन बोर्ड की स्थापना करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा । उच्च स्तरीय ईडीएफ प्रबंधन बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

i. उप निधियों में भागीदारी के लिए मूल्यांकन और सरकार को सिफारिशें करना ।

ii. उप निधि में भागीदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार निधियां जारी करने के लिए सरकार को सिफारिश करना ।

iii. उप निधियों की प्रगति और निष्पादन की उच्च स्तर पर निगरानी करना ।

5.5 उप निधियों का संबंधित क्षेत्र में अच्छा रिकार्ड और निवेश अनुभव होना चाहिए । अनुभव प्रस्तावित उप निधि की गतिविधियों के अनुरूप होना चाहिए ।

5.6 उप निधियों से बाहर आने पर प्राप्त रिटर्न का ईडीएफ के माध्यम से पुनर्नवीनीकरण (रिसाइकल) किया जाएगा ।

6. समयावधि

6.1 यह नीति नई उप निधियों के अनुमोदन के लिए 31.3.2017 तक उपलब्ध होगी । तथापि 31.3.2017 तक अनुमोदित उप निधियों के लिए निधियन सहायता पूर्णरूप से आहरण तक अनुमोदन के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी ।

7. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ईडीएफ के लिए वित्तीय संस्थान की पहचान करेगा और इसके अनुमोदन के पश्चात इस नीति के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा ।

अजय कुमार

(डॉ. अजय कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24360160